E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 02/भू0अ0नि0 (1) यो0बजट– (2023–24)–01/2023....1454....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
लखीसराय।

पटना, दिनांक :– 18/03/2024

विषय :– मुख्य शीर्ष– 2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष 103– भू–अभिलेख – उप शीर्ष –0106– सीमा स्तम्भों का परिचालन– माँग संख्या– 40– विपत्र कोड– 40–2029001030106 के अन्तर्गत ईकाई कोड– 27 01 में वित्तीय वर्ष 2023–24 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :– आपका आवंटन अधियाचना पत्रांक–59 दिनांक 07.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आवंटन अधियाचना के आलोक में सीमा स्तम्भ परिचालन मद में निम्नानुसार आवंटन निर्गत किया जा रहा है :–

क्र0सं0	**बन्दोबस्त कार्यालय का नाम**	**आवंटित राशि**
1	2	3
1	लखीसराय	**3,25,000/–**
	कुल योग :–	**3,25,000/–**

(तीन लाख पचीस हजार रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 1296 दिनांक 03.06.2022 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001030106** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

18/3/24

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:–02 / भू0अ0नि0 (1) यो0बजट– (2023–24)–01 / 2023....1454....**पटना, दिनांक** :- 18/03/2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:–02 / भू0अ0नि0 (1) यो0बजट– (2023–24)–01 / 2023....1454....**पटना, दिनांक** :- 18/03/2024

प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:–02 / भू0अ0नि0 (1) यो0बजट– (2023–24)–01 / 2023....1454....**पटना, दिनांक** :- 18/03/2024

प्रतिलिपि:– बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:–02 / भू0अ0नि0 (1) यो0बजट– (2023–24)–01 / 2023....1454....**पटना, दिनांक** :- 18/03/2024

प्रतिलिपि:– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक:–02 / भू0अ0नि0 (1) यो0बजट– (2023–24)–01 / 2023....1454....**पटना, दिनांक** :- 18/03/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर आई0टी सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

18/3/24

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप